न्यायालय मान0राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

प्रकरण कमांक 3943-दो/2016 निगरानी R-3943-II/16

1- राकेश पुत्र मुन्नालाल कलार

2- नरेन्द्र कुमार पुत्र शिवनारायण कलार

3- शिवनारायण पुत्र मुन्नालाल कलार

तीनों निवासी केशर पहाड़िया के पास

नगर करैरा जिला शिवपुरी, म0प्र0 ---आवेदकगण

विरुद्ध

1--मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर शिवपुरी

2- तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी ----अनावेदकगण

(तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 69 अ-68/2015-16 में पारित आदेश दिनॉक 5-8-16 के विरुद्ध निगरानी अंतर्गत धारा 50 , मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959)

<u>निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण</u>

महोदय

यह कि आवेदक लगभग 30 वर्ष पूर्व से नगर करैरा में मकान बनाकर रहते आ रहे हैं। यह कि पूर्व की नगर पंचायत करैरा (वर्तमान नगरपालिका करैरा) ने यह कहकर भूखंड देते हुये गरीब तबके के व्यक्तियों की बसाहट कराई थी कि राजीव गॉधी आश्रय योजना के अंतर्गत आगे चलकर भूखंडों के पटटा दिलवाये जायेंगे इस योजना के प्रारंभ होने के पूर्वकाल से आवेदकगण मकान बनाकर परिवार सहित निवास करते आ रहे हैं एंव मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला – शिवपुरी

प्रकरण क्रमांक निगरानी–3943–दो/16

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.01.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जी0पी नायक उपस्थित। 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि यह निगरानी त्रुटिवश इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है। अतः उसे सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाए। अतः आवेदक का अनुरोध स्वीकार किया जाता है। निगरानी आवेदन आवेदक को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाए। यह प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। प्रशासकीय सदस्य	